आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

23.09.2014

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

आदेश

वाद संख्या– सी0आर0एम0 05/2013–14

कृष्णदेव राम

बनाम

बिहार सरकार

यह वाद कृष्णदेव राम पिता मोतीलाल राम सा0–परसौनी, अंचल+थाना–रामनगर, जिला पश्चिम चम्पारण, बेतिया के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के द्वारा आदेश दिनांक–06.04.2013 के विरूद्ध दायर किया गया है जिसके तहत अनुज्ञप्ति संख्या–44/2007 को तत्कालिक प्रभाव से रद्ध कर दिया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी बगहा के आदेश दिनांक–01.04.2013 के द्वारा अपिलकर्ता के जन वितरण प्रणाली दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरिक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितता पाई गई :–

1. दुकान बन्द पाई गई तथा विक्रेता विना सूचना के अनुपस्थित पाये गये तथा सूचनापट्ट पर भंडार अंकित नही किया था लेकिन खिड़की से खाद्यान्न का अवशेष पाया गया।
2. दुकान निरिक्षण के समय प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी रामनगर उपस्थित थे। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें भी विक्रेता के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नही है।
3. बी0पी0एल0 लाभूको द्वारा ब्यान दिया गया कि उनहें 09(नौ) किलो गेंहू तथा चौदह (14) किलो चावल एक सौ

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

बावन (152) रूपये लेकर दिया जाता है।

4. अन्त्योदय लाभूको द्वारा बताया गया है कि उन्हें तेरह(13) किलो गेहूँ तथा बीस (20) किलो चावल एक सौ चार (104) रूपये प्राप्त कर दिया जाता है।

उपरोक्त आरोपो के संबंध में जन वितरण प्रणाली विक्रेता से अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी,बगहा के ज्ञापांक 131/आ0 दिनांक–01.04.2013 स्पष्टीकरण की मांग की गई।
विक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि सूचनापट्ट पर स्पष्ट अक्षरों में तिथि अंकित था तथा अपनी पत्नी के ईलाज के लिए परसौनी ईलाज के लिए गया थां चिकित्सक का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है। गोदाम में अस्सी (80) किलो गेहूँ, एक सौ बीस (120) किलो चावल अवशेष बचा हुआ था इसकी प्रवृष्टि सूचनापट्ट पर भी उनके द्वारा अंकित की गई है। गोदाम में खिड़की से अनाज का अवशेष दिखाई देने की बात अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी,बगहा के द्वारा कही गई है।

जन वितरण प्रणाली विक्रेता ने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि प्रखंड कार्यालय रामनगर में आपूर्ति से संबंधित बैठक में अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के द्वारा दिये गये चेतावनी के फलस्वरूप बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय लाभूको को सरकार द्वारा निर्धारित सही दाम लेकर सही वजन से खाद्यान्न का विक्री उनके द्वारा की जाती है। जन वितरण प्रणाली विक्रेता का कहना है कि उनके विरूद्ध जिन लोगों द्वारा शिकायत की गई है उन लोगों से 10–12 वर्षो से जमीन का विवाद चल रहा है फिर भी स्पष्टीकरण पर विचार किये बिना विक्रेता के अनुज्ञप्ति संख्या–04/2013 को रद्द कर दिया गया हैं।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी,बगहा के आदेश दिनांक–06.04.2013 को रद्द किया जाता है तथा उन्हें निदेशित किया जाता है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता से वितरण पंजी प्राप्त कर कम से कम

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	10–15 प्रतिशत उपभोक्ताओं का सत्यापन करें कि जिन उपभोक्ताओं को जितनी मात्रा में खाद्यान्न का वितरण पंजी में दिखाया गया हे उन उपभोक्ताओं को उतनी मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया गया है या नही। जिन उपभोक्ताओं को वितरण पंजी में वितरण दिखाया गया है उतने उपभोक्ताओं का कूपन उपलब्ध है या नही तथा जिस तिथि को अनुज्ञप्ति रद्द किया गया था नियमानुसार वितरण के बाद उतनी ही खाद्यान्न भंडार में पाया गया अथवा नही? यदि उपरोक्त जांच में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में नही आती है तो संबंधित जनवितरण प्रणाली के विक्रेता की अनुज्ञप्ति को पुनर्जिवित कर दी जाएगी एवं अन्यथा स्थिति पाए जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी उचित आदेश पारित करेंगे। उक्त आदेश के साथ इस मामले को अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा को वापस किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 2/9/14 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 2/9/14	